

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1536 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1536

विषय / Sub: ग्राउंड पॉवर प्रोटेक्शन यूनिट, पार्ट सं. 2244 00 000 Ground Power Protection Unit, Part No.: 2244 00 000

यह घोषित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्किपमेंट्स रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (ए एस ई आर डी सी), मेसर्स एच ए एल, लखनऊ- 226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, बाराबंकी रोड, लखनऊ – 226 016 द्वारा उत्पादित " ग्राउंड पॉवर प्रोटेक्शन यूनिट ", पार्ट सं. 2244 00 000, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1536, दिनांक 05 अक्तूबर 2010 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1536 जारी किया गया था जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2015 तक था। तदुपरान्त संदर्भ सं. सेमिलैक/52 टीए/अनुशेष-1 दिनांक 28 जून 2013 द्वारा संशोधन जारी किया गया था।

This is to state that the "Ground Power Protection Unit" bearing the Part No.: 2244 00 000, designed, developed by Aerospace Systems and Equipment Research & Design Centre (ASERDC), M/s HAL, Lucknow – 226 016 and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Barabanki Road, Lucknow – 226 016 was issued with Type Approval No.: 1536 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1536, dated: 05th October 2010, with validity up to 31st December 2015. Subsequently an Amendment was issued vide Ref. No.: CEMILAC/52 TAs/Adm-1, dated: 28th June 2013.

2. उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1536 और उसके परिशिष्ट ए ′(पृष्ठ 1 ) में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा। जी ए आरेखन हेतु:

The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1536 and its Appendix 'A' (Page 1). For GA Drawing:

Wherever	Read as
2244 00 000, Issue : 2D	2244 00 000, Issue: 2E

ਪ੍ਰਭ/Page 01 of 02

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्तूबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 30 सितम्बर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ – 226 016 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f.  $01^{st}$  October 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to  $30^{th}$  September 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow – 226 016, Three (03) Months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1536, दिनांक 05 अक्तूबर 2010 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (4) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (4) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1536, dated:  $05^{th}$  October 2010 is amended as stated herewith. "[अगर टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".

5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगे।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1536/1R

दिनांक/Date :30 October 2017

This Register.

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

है।]"

पी जयपाल / P.JAYAPAL मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) Chief Executive (Airworthiness)